जिला– सहरसा
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,सहरसा

सत्रवाद संख्या–351 / 2013
2153 / 2014

1. राज्य (द्वारा सोनी देवी).....अभियोजन पक्ष

बनाम

1. केसरी किशोर पासवान पिता–विष्णुदेव यादव उम्र करीब 40 वर्ष
साकिन– मुसहरनियां, थाना–सलखुआ
जिला–सहरसा.....आवेदक

वाद से संबंधित तिथियों का विवरणः–

घटना की तिथि	18 / 19.06.2013	
प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि	20.06.2013	धारा–448,341,376,511,379 भा.द.वि.
आरोप पत्र सं. एवं दाखिल करने	154 / 2013	धारा–448,341,376,511 भा.द.वि.
की तिथि	31.08.2013	
संज्ञान लेने की तिथि	11.09.2013	धारा–448,341,376,511 भा. द.वि
आरोप गठन की तिथि	23.09.2015	धारा–376 / 511,341,448 भा. द.वि.
अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	25.11.2015	
अभियोजन साक्ष्य बंद होने की तिथि	23.04.2026	
धारा–313 द0प्र0स0बयान तिथि	23.04.2026	
सफाई साक्ष्य प्रारंभ की तिथि	23.04.2026	
सफाई साक्ष्य बंद होने की तिथि	23.04.2026	
बहस प्रारंभ होने की तिथि	23.04.2026	
बहस बंद करने की तिथि	23.04.2026	
निर्णय की तिथि	23.04.2026	

अभियोजन की ओर से :– श्रीमति उषा मेहता,
विद्वान लोक अभियोजक

बचाव पक्ष की ओर से :– श्री सुद्धेश कुमार सिंह,
विद्वान अधिवक्ता

सहरसा,दिनांक–23वीं अप्रैल 2026

उपस्थितः– संतोष कुमार,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सहरसा।

निर्णय

1. इस आपराधिक वाद के अभियुक्त केसरी किशोर पासवान के विरूद्ध धारा– 376/511,341,448 भा.द.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों के विनिश्चियन हेतु विचारण किया गया है।

2. अभियोजन कहानी का सारांश यह है कि इस वाद की सूचिका X दिनांक–18/19.06.2013 की दिन मंगलवार की आधी रात करीब दो बजे में सूचिका अपने घर में सोई हुई थी, की उसी समय किशोर कुमार केशरी अपने हाथ में थ्रीनट लेकर सूचिका के पास आये और उसके साथ जबरन बलात्कार करने का प्रयास करने लगे। सूचिका इस बात का विरोध करते हुए हल्ला करने लगी, की अगल–बगल के लोग आये और सूचिका की इज्जत बचायी। किशोर कुमार केसरी सूचिका के गले से चांदी का चेन वजन करीब पांच भर कीमत करीब दो हजार रूपया लेकर लोगों को अपने हाथ में लिए थ्रीनट का भय दिखाते हुए भाग गया। सूचिका दिनांक–19.06.2013 को इस बात की सूचना देने के लिए थाना आ रही थी तो विजय कुमार पासवान बोले की चलो गांव में ही पंचायत कर फेसला कर लिया जाय, तब सूचिका वापस अपने घर चली गयी। पंचायत का बात मुदालह द्वारा नहीं मानने पर सूचिका आज दिनांक–20.6.2013 को थाना आकर सूचना दी। उपरोक्त आशय के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गयी।

3. उपरोक्त आशय का सुचिका के फर्दब्यान के आधार पर सलखुआ थाना कांड संख्या–118/2013 अंतर्गत धारा–448,341,376,511,379 भा.द.वि. के अंतर्गत नामजद अभियुक्त के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया तथा अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के क्रम में घटना को सत्य पाकर उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–154/2013 दिनांक–31.08.2013 समर्पित किया गया।

4. आरोप पत्र प्राप्त होने पर उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक– 11.09.2013 को धारा–448,341,376,511 भा.द.वि के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया।

5. दिनांक– 23.09.2015 धारा–376/511, 341,448 भा. द.वि. के अंतर्गत आरोप का गठन होने के पश्चात अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य ग्रहण किया गया एवं साक्ष्य प्रकरण बंद होने के पश्चात दिनांक–23.04.2026 को अभियुक्त का बयान धारा–313 द.प्र.स.के अंतर्गत लिया गया। अभियुक्त का बचाव है कि इनको इस मुकदमा में झूठा फंसाया गया है तथा वे निर्दोष हैं।

6. अब इस वाद में मुख्य विनिश्चयन का प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहे हैं ?

7. विचारण के क्रम में अभियोजन की ओर से कुल 04 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है जिसमें अभियोजन साक्षी सं.–1–X (सूचिका) 2. जगन पासवान, 3. कंचन देवी एवं 4. सकुनिया देवी का परीक्षण कराया गया है।

अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई कागजात प्रदर्श नहीं कराया गया है।

8. बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. अभियोजन साक्षी संख्या–1–x (सूचिका) हैं इनका परीक्षण दिनांक–10.05.2023 को हुआ है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना 10 वर्ष पूर्व 10.00 बजे रात की है। मैं पानी लेकर आयी और सड़क पर जब पानी गिरा दी तो किशोर कुमार केसरी मुझसे बकवास करने लगे तब मैं पुलिस के पास केस करने आयी। पुलिस के पास केस हुआ। मैने पुलिस के सामने कुछ नहीं बतायी थी। पुलिस के पास दिये हुए आवेदन पर मैंने अपना निशान दी थी।

अभियोजन के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

10. बचाव पक्ष की ओर से प्रति परीक्षण में साक्षी ने कहा है कि किशोर कुमार केसरी गांव का है इसलिए पहचानती हूं। मैं सड़क पर पानी गिरायी थी इस बात को लेकर बकझक हुआ था। मेरे साथ मुदालह ने कुछ नहीं किया था और न ही मेरा कुछ लिया था। बकझक होने पर मैं थाना गयी थी, केस करने के लिए। वहां दरोगा जी ने कागज पर मेरा निशान लिए थे और उस कागज पर दरोगा जी ने क्या लिखा था मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। इस केस में आज मेरा पहला बयान हो रहा है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या–2. जगन पासवान हैं, इनका परीक्षण दिनांक–10.05.2023 को किया गया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना कितना दिन का है मैं नहीं जानता हूं। मैं मूर्ख आदमी हूं। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया ।

बचाव पक्ष की ओर से प्रति परीक्षण में साक्षी ने कहा है कि मुदालह मेरा ग्रामीण है इसलिए पहचानता हूं। इस केस में आज मेरा पहला बयान हो रहा है।

12. अभियोजन साक्षी सं.–3. कंचन देवी हैं, इनका परीक्षण दिनांक–30.08.2023 को किया गया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मैं घटना के बारे में कुछ नहीं जानती हूं। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया ।

बचाव पक्ष की ओर से प्रति परीक्षण में साक्षी ने कहा है अभियुक्त मेरे ग्रामीण है, इसलिए मैं पहचानती हूं। इस केस में आज पहली बार बयान हो रही है।

13. अभियोजन साक्षी संख्या–4. सुकन्या देव हैं, इनका परीक्षण दिनांक–30.08.2023 को किया गया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना के बारे में कुछ नहीं जानती हूं। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया ।

बचाव पक्ष की ओर से प्रति परीक्षण में साक्षी ने कहा है कि इस केस में आज पहली बार बयान हो रही है।

14. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता अपने बहस के दौरान कहते हैं कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत 04 अभियोजन साक्षी में से अभियोजन साक्षी संख्या–1. X जो इस वाद के सूचिका एवं पीड़िता है। अभियोजन के प्रार्थना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। बचाव पक्ष के प्रति परीक्षण में साक्षी ने कहा है कि किशोर कुमार केसरी गांव का है इसलिए पहचानती हं। मैं सड़क पर पानी गिरायी थी इस बात को लेकर बकझक हुआ था। मेरे साथ मुदालह ने कुछ नहीं किया था और न ही मेरा कुछ लिया था। बकझक होने पर मैं थाना गयी थी केस करने के लिए वहां दरोगाजी ने कागज पर मेरा निशान लिए थे और उस कागज पर दरोगा जी ने क्या लिखा था मुझे पढकर नहीं सुनाया गया था। इस केस में आज मेरा पहला बयान हो रहा है। इसके अलावा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कुल 04 अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक का साक्ष्य नहीं कराया गया है एवं अभियोजन द्वारा किसी प्रंकार का कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य अभियोजन केस का समर्थन नहीं करते हैं, अतएव अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

<u>मन्तव्य</u>

15. उभय पक्षों को सुना। अभिलेख एवं साक्षियों के साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन साक्षी संख्या–1,2,3,4 अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किए गए हैं। अभियोजन साक्षी सं–1–X जो इस वाद के पीड़िता हैं ने प्रति परीक्षण में कहा है किशोर कुमार केसरी गांव का है इसलिए पचाहनती हूं। मै। सड़क पर पानी गिरायी थी इस बात को लेकर बकझक हुआ था। मेरे साथ मुदालह ने कुछ नहीं किया था और न ही मेरा कुछ लिया था। बकझक होने पर मैं थाना गयी थी केस करने के लिए। वहां दरोगाजी ने कागज पर मेरा निशान लिए थे और उस कागज पर दरोगाजी ने क्या लिखाा था मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। इस केस में आज मेरा पहला बयान हो रहा है।

16. उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्यो, तथ्यों एवं परिस्थितियों के विवेचनोपरांत स्पष्ट है कि प्रस्तुत साक्षियों का साक्ष्य घटना का समर्थन नहीं करते हैं एवं पूर्णतः विरोधाभाष रखते हैं, ये सभी तथ्य, अभियोजन कथन एवं उपरोक्त अभियुक्तगण के उपर लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह के परिधि में लाता है।

17. उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के तर्को, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा वाद की परिस्थितियों के विवेचनोपरांत यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्त केशरी किशोर पासवान के विरूद्ध लगाए गए आरोप धारा–376/511,341,448 भा.द.वि.को साबित करने में विफल रहे हैं।

तदनुसार, अभियुक्त छोटेलाल यादव को धारा– 376/511,341,448 भा.द. वि.के अंतर्गत लगाये गये आरोपों में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है एवं इन्हें इनके बंधपत्र के दायित्वों से उन्मुक्त किया जाता है।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत) लेखापित

(संतोष कुमार) (संतोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सहरसा सहरसा
23.04.2026 23.04.2026

जी.आर.473/2005
4357

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षीगण की सूची

क–अभियोजन

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्शी साक्षी,पुलिस साक्षी,विशेषज्ञ साझी साक्षी,मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी,अन्य साक्षी)
p.w.-1	सोनी देवी	सूचिका
p.w.-2	जगन पासवान	अन्य साक्षी
p.w-3	कंचन देवी	अन्य साक्षी
p.w-4	सुकन्या देवी	अन्य साक्षी

ख–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्शी साक्षी,पुलिस साक्षी,विशेषज्ञ साझी साक्षी,मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी,अन्य साक्षी)

ग–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्शी साक्षी,पुलिस साक्षी,विशेषज्ञ साझी साक्षी,मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी,अन्य साक्षी)

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय प्रदर्श की सूची

क–अभियोजन

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

ख–बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

ग–न्यायालय प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

घ–वस्तु प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

(संतोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
23.04.2026